विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 309

दुर्ग, दिनांक · 21/5/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 133
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी.क्रमांक — **1007184009**

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, सुपेला जोन

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 16 / 09 / 26 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत वॉटर वर्क्स प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1007184009, स्वीकृत भार 1 अश्व शक्ति, के विद्युत बिल में त्रुटि होने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा मुख्यतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई औसत बिलिंग, कैपेसिटर सरचार्ज तथा विद्युत कनेक्शन के प्रयोजन / टैरिफ में परिवर्तन किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के वॉटर वर्क्स प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 1 अश्व शक्ति है।
3. उक्त कनेक्शन में अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा शिकायत में उल्लेख किया गया है कि नवंबर 2023 से जुलाई 2025 की अवधि के लिए 150 यूनिट औसत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है, जबकि उक्त अवधि में मीटर की सही रीडिंग उपलब्ध नहीं थी तथा उचित मीटर रीडिंग/फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर बिलिंग नहीं की गई।

आवेदक द्वारा उक्त बिलिंग/असेसमेंट में आवश्यक संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में कनेक्शन को वॉटर वर्क्स प्रयोजन से गैर–घरेलू प्रयोजन में परिवर्तित करते हुए लागू टैरिफ के अनुसार बिलिंग की जाए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित अगस्त 2018 से जुलाई 2026 तक की मीटर रीडिंग डायरी एवं बिलिंग गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं –

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में 150 यूनिट औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग उचित थी?
2. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाया गया कैपेसिटर सरचार्ज उचित है?
3. क्या आवेदक के अनुरोध पर विद्युत कनेक्शन के वर्तमान प्रयोजनध्टैरिफ में परिवर्तन किया जाना उचित है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों तथा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर रीडिंग डायरी एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं –

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में

अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि उपभोक्ता के कनेक्शन में स्थापित मीटर मार्च 2023 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में उपभोक्ता की बिलिंग 150 यूनिट औसत मासिक खपत के आधार पर की गई।

इसके पश्चात कनेक्शन में अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता की औसत खपत लगभग 1 से 2 यूनिट के बीच पाई गई।

अतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में 150 यूनिट औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग वास्तविक पश्चातवर्ती खपत की तुलना में उचित प्रतीत नहीं होती। इसलिए डिफेक्टिव मीटर की अवधि की बिलिंग को स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक खपत को ध्यान में रखते हुए, लागू नियमों के अनुसार पुनर्गणित किया जाना उचित होगा।

अतः फोरम का निष्कर्ष है कि मार्च 2023 से जुलाई 2025 तक की डिफेक्टिव मीटर अवधि की बिलिंग का संशोधन किया जाना उचित है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में

अभिलेखों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान उपभोक्ता के बिल में कैपेसिटर सरचार्ज लगाया गया है।

मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में संबंधित विद्युत पैरामीटरों की विश्वसनीय मीटर रीडिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि के लिए कैपेसिटर सरचार्ज आरोपित किया जाना उचित नहीं माना जा सकता।

अतः फोरम का निष्कर्ष है कि डिफेक्टिव मीटर की अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की राशि को निरस्त किया जाना उचित है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 के संबंध में

आवेदक द्वारा उक्त कनेक्शन के वर्तमान प्रयोजन को वॉटर वर्क्स से गैर–घरेलू प्रयोजन में परिवर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

फोरम का मत है कि विद्युत कनेक्शन के प्रयोजन/श्रेणी में परिवर्तन नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने तथा संबंधित परिसर, विद्युत भार एवं प्रयोजन के आवश्यक परीक्षण एवं सत्यापन के पश्चात किया जा सकता है।

अतः आवेदक द्वारा नियमानुसार प्रयोजन/टैरिफ परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा आवश्यक परीक्षण एवं सत्यापन कर लागू नियमों एवं टैरिफ प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है –

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि मार्च 2023 से जुलाई 2025 के दौरान 150 यूनिट औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग की पुनर्गणना करें तथा स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक खपत, जो लगभग 1 से 2 यूनिट प्रतिमाह रही है, को ध्यान में रखते हुए लागू नियमों के अनुसार उक्त अवधि की खपत का पुनर्निर्धारण कर संशोधित बिल तैयार करें।

2. मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की राशि को निरस्त किया जाए तथा संशोधित बिल में उसका समुचित समायोजन किया जाए।

3. आवेदक द्वारा कनेक्शन के वर्तमान प्रयोजन को वॉटर वर्क्स से गैर–घरेलू प्रयोजन में परिवर्तित किए जाने हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा आवश्यक परीक्षण/सत्यापन कर लागू नियमों एवं टैरिफ प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4. उपरोक्त संशोधन के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. संजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग